(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 46/2024
पंजीकरण सं. :– 2024/105

बउनवान

राज0 सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ(राज.)
(प्रार्थी)

बनाम

1. श्री लोकेश कुमार गालव पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार जाति ब्राह्मण निवासी अजीतपुरा स्टेशन रोड, अंता जिला बारां (राज.) (विक्रेता) मैसर्स गालव किराना स्टोर, कोटा बारां मैन रोड, अंता जिला बारॉ (राज.)
2. श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार निवासी अंता जिला बारां (मालिक) मैसर्स गालव किराना स्टोर, बस स्टैण्ड के पास, कोटा बारां मैन रोड, अंता जिला बारॉ (राज.)
3. मैसर्स गालव किराना स्टोर, बस स्टैण्ड के पास, कोटा बारां मैन रोड, अंता जिला बारॉ (राज.)
4. श्री गोविन्द शरण पुत्र श्री रामस्वरूप निवासी ठाकुरिया मौहल्ला, अंता जिला बारां (मालिक) मैसर्स गोविंद एजेन्सीज, कोटा बारां मैन रोड, अंता जिला बारां(राज.)
5. श्रीमति प्रियंका गुप्ता पत्नी श्री अशोक कुमार गुप्ता निवासी–5 जैन गार्डन वार्ड नं0 73 बदनपुरा ब्रहमपुरी जयपुर–302002 मैसर्स– सारथी सेल्स एजेन्सी, 467 बेसमेन्ट, सूर्या सिटी, आगरा रोड जयपुर– 302031
6. मैसर्स– सारथी सेल्स एजेन्सी, बेसमेन्ट 467, सूर्या सिटी, आगरा रोड जयपुर– 302003
7. मैसर्स– एस.डी.पी. इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड, SURVEY No. 54/2, 54/2A & 54/2B, Behind Fire Station, Ringanwada Village Dabhel, Daman & Diu-396210A

(अप्रार्थीगण)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii)/51 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स, 2011

उपस्थिति :– 1– अनुपस्थित खा.सु.अ. (प्रार्थी)
2– श्री दिनेश कुमार शर्मा अभिभाषक (अप्रार्थीगण)

निर्णय दिनांक 18.03.2025

प्रकरण राजस्थान सरकार जर्ये श्री गोवर्धन सिंह ख्यालिया, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 27.07.2023 को मैसर्स–गालव किराना स्टोर, कोटा बारां मैन रोड, अंता जिला बारॉ (राज.) पर पहुंचा। वहॉ पर श्री लोकेश कुमार गालव पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार जाति ब्राह्मण (विक्रेता) की हैसियत से उपस्थित था, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया गया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 20.09.2023 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा हूॅ और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 02.12.2022 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है। श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान जयपुर के आदेश कमांक आयुक्ता0/खासुऔनि/संस्था/2022/6235 दि. 22.12.2022 से कार्यक्षेत्र जिला बारां आवंटित किया गया तथा आदेश क्रमांक 6379 दिनांक 26.12.2022 के अनुसार मुझे ब्रास सील संख्या 61 आवंटित की गई।

यह कि आवेदक द्वारा निरी[illegible]कुल **एगमार्क घी मूल गत्ते पैक 10 लीटर** आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था। मैंने अपना परिचय [illegible] परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ **गोकुल एग**[illegible] पर नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना [illegible] 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति [illegible] आवेदन के साथ संलग्न [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.07.22 15:36:29 IST
Reason: SelfAttested

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारॉ द्वारा खाद्य पदार्थ **गोकुल एगमार्क घी मूल गत्ते पैक** 04 लीटर मूल गत्ते पैक वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा जिसकी कीमत श्री लोकेश कुमार गालव पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार जाति ब्राह्मण (विक्रेता) को 2500/– रूपये (अक्षरे दो हजार पॉच सौ रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **गोकुल एगमार्क घी मूल गत्ते पैक** 04 लीटर मूल गत्ते पैक के प्रत्येक भाग पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.–1896 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.–1896 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री श्री लोकेश कुमार गालव पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार जाति ब्राह्मण (विक्रेता) ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विशलेषक कोटा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म नं0 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे मे बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्सलेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2023/380 दिनांक 21.08.2023 से ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1351/PHL/kota/Act/2023/1356 दिनांक 11.08.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **गोकुल एगमार्क घी मूल गत्ते पैक** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 3(1)(Zx) के तहत **अवमानक (Substandard)** होना पाया गया।

इस पर प्रकरण दिनांक 30.05.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जर्ये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर उपस्थिति दी गई है। प्रकरण में अप्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया जाकर प्रकरण मे राजस्थान सरकार जरिये प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारॉ के अनुपस्थित रहने पर प्रकरण मे अप्रार्थीगण के अभिभाषक की अंतिम बहस सुनी गई।

राज. सरकार जरिये प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां ने परिवाद में अंकित किया है कि अप्रार्थीगण द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **गोकुल एगमार्क घी मूल गत्ते पैक** को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह जॉच रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक(Substandard)** होना पाया गया। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(I I) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा दौरान बहस [illegible] जवाब के कथनों को दौहराते हुये कथन किया गया कि प्रकरण में अप्रार्थी क्रम 01 ता 06 द्वारा जरिये बि[illegible] उक्त [illegible] पदार्थ **गोकुल एगमार्क घी मूल गत्ते पैक** खरीदा एवं विक्रय किया गया है जिन्हें दोषमुक्त किया जावे। अप्रार्थी क्रम 07 फर्म को पार्टी बनाया गया है जबकि उसके मालिक को पार्टी नहीं बनाया गया है। अप्रार्थी क्रम 07 को [illegible] की जांच रिपोर्ट नहीं भिजवाई गई। लेबोरेट्री की रिपोर्ट फार्म नं. VII A में जारी करनी होती है जबकि लेबोरेट्री की रिपोर्ट फार्म नं. B में जारी की गई है। उक्त घी में खाद्य विश्लेषक द्वारा जांच रिपोर्ट में रिचार्ट वेल्यू को कम बताते हुये सबस्टैण्डर्ड घोषित किया गया है जबकि उक्त खाद्य पदार्थ गुजरात में निर्मित करके विक्रय किया गया था तथा कॉटन ट्रेक्ट एरिया की रिचार्ट वेल्यू 21 मानक कोटि हीं मानी गई है तथा 21 रिचार्ट वेल्यू का घी खाने योग्य होता है जो कानूनन निर्धारित पैरामीटर में शामिल है जिसके आधार पर अप्रार्थीगण को दोषी ठहराना न्यायोचित नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.07.22 15:36:29 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में अप्रार्थीगण के अभिभाषक की अंतिम बहस सुनी गई और पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया जिससे पाया गया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां द्वारा रजिस्टर्ड नोटिस क्रमांक 732 दिनांक 06.05.2024 से अप्रार्थी क्रम 07 को सूचित किया गया कि आपकी फर्म के मालिकाना हक का दस्तावेज की प्रति, खाद्य अनुज्ञापत्र की प्रति, मालिक/भागीदारों के पहचान पत्र की प्रति सभी की स्वप्रमाणित प्रति चाही गई जो अप्रार्थी क्रम 07 द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई इसलिए फर्म के मालिक को पार्टी नहीं बनाया गया। अप्रार्थी क्रम 01 को पत्रांक 380 दि. 21.08.2023 से लेबोरेट्री की जांच रिपोर्ट भिजवा दी गई थी। खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1351/PHL/kota/Act/ 2023/1356 दिनांक 11.08.2023 फार्म नं. VII A में हीं जारी की गई है। उक्त जांच रिपोर्ट में रिचार्ट वैल्यू 21.17 प्राप्त हुई है जबकि खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम, 2011 के अनुसार दमन और दीव में रिचार्ट वैल्यू 24.0 से कम नहीं होनी चाहिए। अप्रार्थीगण यदि उक्त जांच रिपोर्ट से असंतुष्ट थे तो उन्हे धारा 46(4) के तहत जर्ये पत्र सूचित किया जाकर एक माह का समय दिया गया था कि उक्त सेम्पल की पुनः जॉच करवाये, किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा उक्त सेम्पल की पुनः जॉच नहीं करवायी गई है।

प्रकरण में अप्रार्थी क्रम 01 से वास्ते नमूना जॉच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ **गोकुल एगमार्क घी मूल गत्ते पैक** खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1351/PHL/kota/Act/ 2023/1356 दिनांक 11.08.2023 से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक (Substandard)** होना पाया गया। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(II) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 51 के तहत अप्रार्थी क्रम 07 को कुल जुर्माना राशि 1,00,000/– रूपये (अक्षरे एक लाख रूपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थी क्रम 07 उक्त जुर्माना राशि ई–मित्र सेवा केन्द्र से चालान निकलवाकर, जरिये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे अन्दर एक माह प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक **18.03.2025** को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट,
बारॉ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.07.22 15:36:29 IST
Reason: SelfAttested